

8/2/2022  
पत्रावली पेश हुई। बहुलाय उपस्थित/पीठासीन  
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण  
पत्रावली दिनांक 14/3/2022 को पेश हो।

सीट

14/3/2022

बहुलाय उप  
वादीगण ने जवाब पेश करने के लिए  
समय चाहा है। अतः ब्यापकित में समय  
दिनांक 22/3/2022 को पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/3/2022  
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) देवूरी (बाली)

22/3/2022

पत्रावली आज पेश हुई।  
वादीगण अधिवक्ता भरत कुमार खोल्की उप  
वादीगण अधिवक्ता के उर्ध्व-पत्र अन्तर्गत क्रम  
23 नियम-1 (3) सी. पी. सी. का पेश कर  
निवेदन किया कि वादीगण ने भद्र वाद अन्तर्गत  
धारा 53, 92(A) 188, बालखान कास्तकारी अधिनियम  
1955 के तहत उर्विवादीगण के विरुद्ध क्षीमान के  
व्यापकित में उस्तुत किया था। वादीगण भद्र  
वाद इसके कुछ प्रारम्भिक श्रुति रह जाने से सदागवना  
पूर्वक आगे चलाना नहीं चाहता है। जिससे  
वादीगण भद्र वाद नये वाद हेतु के आधार  
पर नये वाद की अनुमति सहित विद्रोक्त करना  
चाहता है। जिससे ब्यापकित में वादीगण को  
नया वाद लाने की अनुमति उदान करते हुए  
इस वाद को विद्रोक्त किया जाना ब्यापकित  
होगा। अतः उर्ध्व-पत्र रबीकार  
फरमावे एवं वादीगण उर्ध्व-पत्र को नया वाद  
लाने की अनुमति उदान करते हुए वाद  
विद्रोक्त किये जाने के अदिश उदान करावे।

वादीगण अधिवक्ता के उर्ध्व-पत्र  
वादीगण अधिवक्ता का खुना गया वादीगण  
अधिवक्ता की वशत उभा अनुसार वादीगण  
के उर्ध्व-पत्र अन्तर्गत क्रम 23 नियम 1 (3)  
सी. पी. सी का रबीकार किया जा कर वादीगण  
अधिवक्ता को नया वाद लाने की अनुमति




Handwritten mark

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

तारीख  
हुक्म

उदान करते हुए यह वाद विद्रोह किया  
जाने का आदेश उदान किया जाता है।  
वाद वादीगण जरिये विद्रोह स्वीकार किया  
जाता है। निर्णय स्तरे इपलास खुलासा  
गया। पतावली फौजदारी मुंशर डेकर  
नम्बर से कम है।

  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)